(ग) टेप रिकार्डिंग किन परिस्थितियों में किया जाता है; और

(घ) प्रति टेप रिकार्डिंग पर औसत कितना व्यय होता है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: (क) बाहर से आये कलाकारों को सफर खर्च अलग से नहीं दिया जाता । यह खर्च कलाकारों को दी जाने वाली कुल फीस में शामिल किया जाता है, जिसकी तफसील साथ दी गई है । [देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ६७]

(ख) आम तौर पर जिस वक्त तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट आसानी से मिल सकती है, आकाशवाणी कोई सरकारी सवारी मुहैय्या नहीं करती । लेकिन जब कलाकार को दूर से आना होता है और महिला कलाकारों को रेडियो स्टेशन अकेले सुबह जल्दी या शाम को देरी से पहुंचना होता है, तब जाने का सरकारी प्रबन्ध किया जाता है । कमजोर और चलने फिरने में असमर्थ कलाकारों के लिये हर समय सवारी दी जाती है ।

(ग) टेप रिकार्डिंग विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार की जाती है जैसे स्टूडियो की उपलब्धि, किसी विशेष कार्यक्रम को रखने की जरूरत, दूसरे स्टेशनों से उस प्रोग्राम की मांग तथा ब्राडकास्ट का समय ।

(घ) आध घंटे की टेप (फीता) रिकार्डिंग पर लगभग १२ रुपये खर्च आता है ।

### निवास-स्थान का दिया जाना

१८५०. **श्री मानकभाई अग्रवाल** : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी कर्मचारियों को क्वार्टर उनके वर्तमान वेतन के अनुसार उस वेतन श्रेणी के अथवा उससे निचली वेतन श्रेणी के दिये जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई ऐसे मामले भी हैं जिनमें कर्मचारियों को वर्तमान वेतन श्रेणी से ऊंची वेतन श्रेणी के क्वार्टर दिये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में जांच करेगी ?

**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) एलाटमेन्ट (Allotment) नियमों के अन्तर्गत क्वार्टरों की किसी श्रेणी का अधिकारी होना सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर निर्भर है । ५०० पये या उससे अधिक मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को इस प्रकार निर्धारित श्रेणी के लिये तथा उसकी तुरंत-निम्न (next below) श्रेणी के लिये भी पंजीयत किया जाता है । ५०० रुपये मासिक से कम वेतन पाने वालों को केवल उनकी उपयुक्त श्रेणी के लिये ही पंजीयत किया जाता है ।

(ख) जी, हां । सात व्यक्तियों को उनकी उपयुक्त श्रेणी से उच्च श्रेणी के क्वार्टर नियमों में छूट देकर प्रदान किये गये हैं ।

(ग) प्रत्येक मामले में एलाटमेन्ट (allotment) उपयुक्त अधिकारी की स्वीकृति लेकर किया गया था । इसलिये किसी प्रकार की जांच की आवश्यकता नहीं है ।

### सरकारी क्वार्टर

१८५१. **श्री मानकभाई अग्रवाल** : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्वार्टरों अथवा बंगलों में रहने वाले सभी कर्मचारियों को अपने वेतन का १० प्रतिशत भाग किराये के रूप में देना पड़ता है ; और

(ख) यदि नहीं, तो प्रत्येक बस्ती में प्रत्येक प्रकार के क्वार्टर अथवा बंगले का किराया किस हिसाब से लिया जाता है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : (क) सरकारी कर्मचारियों को एफ० आर० ४५- उनके वेतन के १० प्रतिशत तक संगृहीत प्रमाणित ( Pooled/standard ) किराये के रूप में देना पड़ता है ।

(ख) सभा की मेज पर विवरण रख दिया गया है । [देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ६८]

**Ambernah Woollen Mills**

1852. **Shri Assar:** Will the Minister of **Rehabilitation and Minority Affairs** be pleased to refer to the reply to supplementary on Starred Question No. 18 on 11th November, 1057, and state the name of the party to whom the Ambernath Woollen Mills has been sold and the amount thereof?

**The Parliamentary Secretary to the Minister of Rehabilitation and Minority Affairs (Shri P. S. Naskar):** The Government has entered into an agreement with Kanwar Raj Nath for the sale of the Mills to him for Rs. 50,11,000.

**Central Labour Institute**

1853. **Shri S. M. Banerjee:**
**Shri Muhammed Elias:**

Will the Minister of **Labour and Employment** be pleased to lay a statement showing:

(a) the site where the new building of the Central Labour Institute is being constructed;

(b) the time by which the construction is expected to be completed;

(c) whether any fund was allocated for the construction of this building during the First Five Year Plan;

(d) if so, the amount allocated and actually spent during the First Five Year Plan;

(e) the amount allocated for its construction in the Second Five Year Plan; and

(f) the estimated requirement on yearly basis during the Second Five Year Plan period?

**The Deputy Minister of Labour (Shri Abid Ali):** (a) At Sion in Bombay.

(b) By the end of 1959-60.

(c) Yes, for the building at Kurla, the construction of which was stopped in February 1957 when the extension of the Santacruz runway was proposed.

(d) For the building at Kurla an expenditure of Rs. 11 lakhs non-recurring and Rs. 1·25 lakhs recurring was approved. Information regarding actual expenditure incurred is not readily available.

(e) No separate allocation has been made for the construction of the building in the Second Plan, but budget provision from year to year is being made.

(f) The construction of the building at the new site has necessitated revision of the original estimate. The revised estimate amounts to Rs. 27 lakhs. Its yearly break down has not yet been determined.

**Board of Trustees of Coal Mines Provident Fund**

1854. **Shri T. B. Vittal Rao:** Will the Minister of **Labour and Employment** be pleased to state:

(a) when the last meeting of the Board of Trustees of the Coal Mines Provident Fund was held;

(b) the subjects discussed at that meeting; and